विचार बिन्दु

महान ध्येय का मौन में ही सृजन होता है। –साने गुरूजी

स्वास्थ्य सेवाओं में हर कहीं खामियां मिली सीएजी की जांच में

सभी लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करना किसी भी कल्याणकारी शासन की प्रमुख जिम्मेवारी होती है। स्वास्थ्य राज्य के मूलभूत दायित्वों में शामिल है। नागरिकों के स्वस्थ रहने का अधिकार न केवल उनकी व्यक्तिगत भलाई से जुड़ा है बल्कि यह राष्ट्र की प्रगति, उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है।लेकिन अब स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं जिस प्रकार बाज़ार के हवाले की जा रही हैं वह चिंताजनक है। हालांकि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिस प्रकार स्वतंत्रता, समानता और न्याय को नागरिकों के मौलिक अधिकार बनाया उसी तरह स्वास्थ्य को संविधान में सीधे तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे राज्य की जिम्मेदारी और नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रमुखता दी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं से स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जरूर प्रतिष्ठित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह व्याख्या की है कि 'जीवन का अधिकार' केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ है कि नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण और सर्वसुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। मगर यह अब राज्य के लिए खुद करना दुरूह होता जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 21(जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के साठ अनुच्छेद 39(इ) और 39(एफ)में राज्य को यह निर्देश देते हैं कि श्रमिकों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिले। अनुच्छेद 42 में मातृत्व और प्रसूति संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी मानी गई है। अनुच्छेद 47 में स्पष्ट प्रावधान है है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा जनस्वास्थ्य में सुधार करे।यानी संविधान ने स्वास्थ्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों में डालकर इसे राज्य का दायित्व तो बनाया, लेकिन न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं माना। आज व्यावहारिक स्थिति बताती है कि राज्य संविधान निर्देशित इस जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है। योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन अकर्मण्य कार्यपालिका उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने में असफल रहती है। राज्य सरकार की इस असफलता की सच्चाई राज्य के वित्त प्रबंधन पर निगाह रखने वाली संवैधानिक संस्था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नई रिपोर्ट में भी खुल कर सामने आई है।

स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक और आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक आधारभूत घटक है। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सीएजी की इस नमूना जांच में सामने आया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिक्स की कमी है, सरकारी चिकित्सा संस्थानों के आईपीडी में सामान्य शल्य चिकित्सा, बाल रोग, अस्थि रोग और दुर्घटना एवं ट्रॉमा वार्ड जैसी आवश्यक न्यूनतम सुनिश्चित सेवाओं का भी अभावहै, वहां आपातकालीन, गहन चिकित्सा इकाइयों, रक्त बैंकों जैसी सेवाओं में भी कमियां हैं, सरकारी अस्पतालों और जिला औषधि गोदामों में आवश्यक दवाओं की पूरी उपलब्धता नहीं है, चिकित्सा इकाइयों को जारी की गई दवाइयां मांग की गई मात्रा से कम होती हैं, औषधि खरीद के लिए दर अनुबंधों को अंतिम रूप देने में अनावश्यक देरी होती है और क्रय आदेश तब दिए जाते हैं जब बफर स्टॉक निर्धारित बफर स्तर से बहुत नीचे चले जाते हैं, प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टें देरी से मिलती हैं, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के बिनाही स्थानीय स्तर पर दवाइयां खरीद ली जाती हैं, अमानक गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण करने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई में काफी में शिथिलता होती है और सरकारी संस्थानों में में विभिन्न श्रेणियों में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। लेखा परीक्षा में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बिजली और पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान तक में कमियां पाई गईं। सीएजी की रिपोर्ट में यह चिंताजनक जानकारी भी सामने आई है कि राज्य के रेगिस्तानी, आदिवासी और मैदानी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की कमी है और राज्य सरकार के पास इस कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की कोई ठोस योजना नहीं है।

स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक और आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक आधारभूत घटक है। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सीएजी की इस नमूना जांच में सामने आया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिक्स की कमी है।

प्रशासन तंत्र की घोर निष्क्रियता को दर्शाती एक और बात लेखापरीक्षा में सामने आई है कि राज्य की चिकित्सा परिषद की न तो संरचना और न ही कार्यप्रणाली राजस्थान चिकित्सा अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसी प्रकार राज्य फार्मेसी परिषद ने भी प्रदेश में फार्मेसी निरीक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की है। सवाल उठता है कि इन निकायों द्वारा प्रभावी नियमन सुनिश्चित करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद और राज्य फार्मेसी परिषद के कामकाज की निगरानी प्रशासनिक स्तर पर क्यों नहीं की जाती। भारी भरकम शीर्ष प्रशासनिक अमले के बावजूद इन खामियों के लिए कौन जिम्मेवार है यह सवाल निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं पूछते। वे सीएजी की रिपोर्टें शायद ही गौर से पढ़ते हों जो स,वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नियमित रूप से विधान सभा के पटल पर राखी जाती है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव इस चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। उनकी मदद करने के लिए निदेशक (जन स्वास्थ्य) है, जो समग्र योजना बनाने और गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएंडएचओ) और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ) योजनाओं के प्रशासन और कार्यान्वयन में मदद करते हैं। इसी प्रकार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग (डीएमई) के प्रशासनिक प्रमुख हैं और आयुक्त (डीएमई) उनकी सहायता करते हैं, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। कॉलेजों के प्रधानाचार्य और नियंत्रक (पी एंड सी) संस्थानों के प्रमुख हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध प्रत्येक अस्पताल एक अधीक्षक के प्रभार में कार्य करता है।सभी को मोटा वेतन और साथ में अनेक सुविधाएं मिलती हैं। मगर वे जो परिणाम देते हैं उसकी पोल सीएजी की उस रिपोर्ट में खुलती है मगर किसी का बाल भी बांका नहीं होता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने 2025 तक समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। इसके अलावाराज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को राज्य के बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है। लेकिन हम पाते हैं कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय1.08 और 1.36 प्रतिशत के बीच ही रहा, जो दर्शाता है कि 2.5 प्रतिशत का लक्ष्य इस वर्ष तक प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय 8 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 5.25 और 6.95 प्रतिशत के बीच रहा है। सीएजी की रिपोर्ट यह चिंताजनक आंकड़ा भी देती है कि राज्य में स्वीकृत पदों की संख्या 22,018 के मुकाबले 15,121 चिकित्सक ही उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि राजस्थान सरकार के पास स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती और स्टाफिंग के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) की तर्ज पर अपनी नीतियाँ बनाएं। लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने कोई राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य नीति नहीं बनाई है।

लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्ध धन की निरंतर बचत और अपर्याप्त उपयोग भी पाया है, जो विभागों में अप्रभावी नियंत्रण का संकेत है। 2016-17 से 2021-22 तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल बजट 77,246.20 करोड़ रुपयों में से, व्यय 71,188.81 करोड़ रुपये ही था। 2016-17 से 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पूंजीगत मद में 1,079.11 करोड़ रुपये (18.52 प्रतिशत) और राजस्व मद में 4,978.28 करोड़ रुपये (7 प्रतिशत) की कुल बचत हुई। अर्थात सरकार ने बजट में जितना धन रखा वह पूरा खर्च नहीं हुआ क्योंकि प्रशासनिक तंत्र अपनी जिम्मेवारी से लापरवाह रहा। संवैधानिक संस्था की यह रिपोर्ट बताती है कि शासन का काम जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्न है। यह क्योंकि राज्यों का विषय है इसलिये इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर अधिक होती है जो राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सीएजी की रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जाती है और अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि इसे पढ़ कर उसमें बताई गई खामियों को ठीक करने के लिए आवाज़ उठा कर सरकार को सक्रिय कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन अनुभव बताता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास उन्मादी राजनीति करने के अलावा और किसी में रुचि नहीं होती है। आमजन से जुड़े स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में खम ठोंकने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि कभी गंभीर विमर्श नहीं करते। भारत विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहा है। यह सपना तभी साकार हो सकता है जब उसका नागरिक स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं मीडिया प्रचार में नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में दिखनी चाहिए।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

बांसवाड़ा में उगेगा सोने का सूरज

शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में विकास का महाशिलान्यास करेंगे पीएम मोदी

शक्ति और साधना के प्रतीक शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में राजस्थान का जनजाति बहुल दक्षिणांचल नई ऊर्जा और नए विश्वास का साक्षी बनने जा रहा है। देवी त्रिपुरा सुंदरी की दिव्य छत्रछाया, माही माता की जीवनदायिनी धारा, मानगढ़ के गौरवशाली इतिहास और संत मावजी की पवित्र भूमि पर 25 सितंबर का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि भविष्य के उज्ज्वल अध्याय की शुरुआत बनकर दर्ज होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के नापला गांव पहुंचकर 1 लाख 22 हजार 441 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणांचल वागड़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हो रहा यह आयोजन एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आदर्शों को नई ऊर्जा देगा, मानो देवी की आराधना और विकास का संकल्प एक साथ साकार हो रहे हों।

राजस्थान सरकार का दूरदर्शी सहयोग :-प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने में राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री ने स्वयं नापला गांव और आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण से लेकर हर व्यवस्था को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां और बुनियादी ढांचे के विकास में त्वरित कार्रवाई कर केंद्र की योजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के जनजातीय अंचल को आत्मनिर्भर बनाने का युगांतकारी कदम बताया है।

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर प्रदेश की दूसरी और देश की महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजना माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लगभग 42,000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 2800 मेगावाट की क्षमता वाली होगी, जिसमें 700-700 मेगावाट की चार अत्याधुनिक इकाइयां शामिल हैं। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के आड़ीभीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल गांवों में बनने वाली यह परियोजना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होगी, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ बिजली उत्पादन में सक्षम है। यह परियोजना केवल बिजली का स्त्रोत नहीं, बल्कि प्रकृति और प्रगति के बीच सामंजस्य का प्रतीक होगी।

ये कार्यक्रम भी हैं प्रस्तावित :-निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा से 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान को 42 हजार करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे इस अवसर पर राजस्थान सरकार के 30 हजार 339 करोड़ रुपए से अधिक के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। इस मौके पर 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के अंत में पीएम कुसुम योजना के विभिन्न लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।

जनजाति अंचल के सपनों को लगेंगे पंख :-इस परियोजना से बांसवाड़ा को दुनिया के परमाणु ऊर्जा मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। इस परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर खुलेंगे और आसपास के व्यवसायों को नई दिशा मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और दक्षिण राजस्थान का जनजातीय अंचल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। यह केवल रोजगार की गिनती नहीं, बल्कि उन सपनों का उत्सव है, जो पीढ़ियों से अवसर की राह देख रहे थे। राजस्थान सरकार ने परियोजना से जुड़े स्थानीय रोजगार प्रोत्साहन, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार की योजनाएं भी तैयार की हैं, ताकि बांसवाड़ा के युवाओं को सीधा लाभ मिल सके।

भव्य आयोजन, अप्रतिम उत्साह :-माहीबांध बैकवॉटर की मनमोहक प्राकृतिक छटा के बीच नापला गांव का आयोजन स्थल विकास और आस्था के महाकुंभ में बदल चुका है। प्रधानमंत्री के मंच, वीवीआईपी गैलरी और जनसभा के लिए विशाल डोम और विशेष पंडाल बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियां और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीमें मुस्तैद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बार-बार स्थल का दौरा कर अंतिम तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। शहर और आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा के लिए शटल बस सेवा, पेयजल स्टॉल, चिकित्सा केंद्र और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पूरे क्षेत्र में ऐसा उत्साह है मानो यह केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि पूरे जनजातीय अंचल का अपना पर्व हो।

श्रद्धा, संस्कृति और विकास का अद्भुत संगम :-त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति, माही माता की पावन धारा और संत मावजी के तपोभूमि की आभा में यह शिलान्यास केवल ऊर्जा परियोजना का आरंभ नहीं, बल्कि विकास और संस्कृति के अद्वितीय संगम का साक्ष्य है। नवरात्रि की आराधना जहां शक्ति और संरक्षण का संदेश देती है, वहीं यह परियोजना हरित ऊर्जा और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर को राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने वाला ऐतिहासिक पर्व बताते हुए इसे राज्य के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प माना है।

भविष्य के उजाले का व्रत :-प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल परियोजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का व्रत है। यह संदेश है कि जब श्रद्धा, संकल्प और राज्य-केंद्र की साझी प्रतिबद्धता साथ चलें, तो विकास का हर मार्ग सुगम हो जाता है। माही बांध की लहरों पर गूंजती ऊर्जा क्रांति की यह गाथा राजस्थान को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर स्थापित करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया सूरज लेकर आएगी। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि शक्ति की उपासना और विकास का संकल्प जब एक साथ फलीभूत होते हैं, तब इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अध्याय अंकित होते हैं।

डॉ. कमलेश शर्मा
अतिरिक्त निदेशक,
जनसंपर्क पुलिस मुख्यालय,
जयपुर

चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष व विपक्षी दल तथा सत्ताधारी दल का अनिर्णीत दंगल

महावीर सिंह

अपने देश में शासन व्यवस्था के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। अपेक्षा यह होती है कि कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप और संवैधानिक प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना करके बने।

कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, इसकी जांच परख करने का,कानून की व्याख्या करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। यदि कभी ऐसा लगता है कि जो कानून बना है उस में कोई ऐसी कड़ी ओर जुडनी चाहिए जो कानून को पूर्णता प्रदान करे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है।

सामान्यत: आम जनता यह मानकर चलती है कि संसद द्वारा जनहित में ही कानून बनाया है। किंतु कई बार कानून बनाते समय ही या बाद में, सरकार के क्रियाकलापों को देख कर जनता सशंकित हो जाती है कि बनाए गए कानून का बेजा दुरुपयोग भी किया जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि संविधान सभा में हुई बहस का सार यह है कि संसद राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों, कोई शक की गुंजाइश न हो और उसके लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग हो। निष्पक्षता से काम के सकने वाले चुनाव आयोग के गठन के लिए, ईमानदार, निष्ठावान, निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद कानून बनाए । जब तक यह कार्य पूर्ण न हो तब की अवधि के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाली कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नाम तय करे।

किंतु जब संसद में कानून बनाया तो उसमें प्रधान मंत्री, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री व नेता प्रतिपक्ष को चयन करने वाली कमेटी में रखा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसा केंद्र सरकार चाहेगी, वैसा ही चुनाव आयोग बनेगा। निष्पक्ष हो भी सकता है अथवा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सत्ता पक्ष की इच्छानुसार भी ले सकता है।

अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति में रखा जाता तो देश पर क्या खतरा आ जाता? चलिए मान लेते है,कानून बनाना संसद का अधिकार है और भारत का संविधान में न्यायपालिका व संसद के अधिकार क्षेत्र अलग अलग तय किए हुए है।इसलिए,सामान्यत तर्क यह दिया गया कि संसद व कार्यपालिका के काम में न्याय पालिका का दखल क्यों हो?? तो फिर, कम से कम ऐसा कानून तो बनाते जिसमें जाहिराना तोर पर तो यह नहीं लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही बनेगा जिसे सरकार चाहेगी व अर्थात सरकार का मर्जी दान। यह ठप्पा लगा चुनाव आयुक्त बनेंगे, तो, चाहे वह पूर्णत: निष्पक्ष, सक्षम, ईमानदार ही क्यों न हो, उसके कार्यों पर शंका करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी।

2023 में संसद में कानून बनाया "मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त (---) अधिनियम"। कानून में प्रावधान किया की भारत की कोई भी अदालत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी आधिकारिक कार्य, निर्णय, बयान आदि को लेकर, सिविल या अपराध के लिए उनके जीवनकाल में मामला नहीं ले सकती। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारीश से ही हटाया जा सकता है।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल एक विहित प्रक्रिया द्वारा संसद ही हटा सकती है, वैसे ही जैसे किसी उच्च या उच्चतम बी न्यायालय के न्यायाधीश को तो फिर इस प्रकार के कानून की कहां आवश्यकता थी? मुझे स्मरण नहीं पड़ता कि कभी किसी चुनाव आयुक्त पर चुनाव से संबंधित किसी कार्य के लिए कोई अपराधिक या सिविल मुकदमा चला हो। 2023 से पहले 70 साल में ऐसा कानून बनाकर, इतना प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई??

क्या पहले से अंदेशा था कि जानबूझ कर गलत मतदाता सूचियों के जरिए वोट इधर उधर करने,चुनावी धांधली के मामले उठेंगे और सरकार की मर्जी से नियुक्त चुनाव आयुक्तों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हो सकते है?? मान लिया, द्वेषता के कारण कोई ऐसा कर सकता है तो यह प्रोटेक्शन चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल तक दिया जाना उचित हो सकता है किंतु यदि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हों कि किसी चुनाव आयुक्त के निर्देशों पर कोई गलत निर्णय किया गया तो कार्यकाल समाप्ति के बाद मुकदमा क्यों नहीं चले?? लोक सभा में नेता प्रति पक्ष व कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए है कि मतदाता सूचियों में मनमर्जी से नाम हटाए और जोडे गए है और अब भी ऐसा किया जा रहा है।

आयोग का कहना है ऐसा किया ही नहीं जा सकता।अभी कर्नाटक की एक विधान सभा आलंद के संबंध में प्रेस के समक्ष एक प्रजेंटेशन में नेता प्रति पक्ष में कहा है कि ऐसा किया गया है। जो कुछ कहा गया उसका सार यह है ----- कि पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में से कुछ नामों को हटाने की एप्लिकेशन भर के ऑनलाइन, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सब मिट की जाती है। एप्लिकेशन सबमिट करने में कुछ मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। उस मोबाइल फोन पर प्रार्थनापत्र सत्यापन के लिए मेसेज जाता है और फिर उस वोटर का नाम हटाया जाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस गडबडी का भंडा फूटने पर कर्नाटक चुनाव आयुक्त ने जांच पड़ताल करवाई और पाया कि इस प्रकार के 6 हजार से ऊपर नाम कटवाने के प्रार्थना पत्र दाखिल हुए। जांच में 24 सही पाए गए और बाकी, वास्तव में संबंधित वोटर्स की जानकारी के बिना दाखिल किए गए। कर्नाटक सरकार की पुलिस की CID शाखा में एक एफआईआर दर्ज कराई जिसकी जांच चल रही है।

आरोप यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय से जांच में वांछित सूचनाएं --- ई मेल जिस मेल आईडी से की गई उसका IP एड्स दिया जाए, जिन मोबाइल नंबरों का हवाला प्रार्थना पत्रों में दिया वह मोबाइल नंबर नहीं दिया जा रहे। प्रार्थना पत्र के सत्यापन के लिए जिस मोबाइल नंबर पर मेसेज भेजे वह नंबर तथा ओटीपी भेजे गए होंगे उनका पूरा विवरण अर्थात OTP ट्रेल आदि का पूरा विवरण दिया जाए। चुनाव आयोग के प्रेस नोट दिनांक 19 सितंबर 25 के द्वारा बताया गया है कि CID द्वारा चाही जा रही। समस्त जानकारियां दे दी गई है। वहां जांच में देरी हो रही है।

चुनाव आयोग द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा संभव नहीं क्यों कि ऑनलाइन किसी मतदाता का नाम हटाया ही नहीं जा सकता।

अभी तक, सार्वजनिक रूप से जो सामग्री सामने आई है, जो विचार विभिन्न लोगों के सामने आए है उनका सार यह है कि--ऑनलाइन नाम हटवाने का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। यह सब एक संगठित गिरोह भी कही दूर बैठ कर सकता है अर्थात आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम हटवाने का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। अब सत्यापन के लिए कि आवेदन सही है उसके लिए जिस मोबाइल नंबर का हवाला नाम हटवाने के प्रार्थना पत्र में दिया है उस पर मेसेज व ओटीपी जाएगा। का उपयोग कर यह कनफर्म किया जाएगा कि हां, प्रार्थनापत्र दिया गया है अर्थात एक ओर ईमेल आयोग की वेबसाइट पर गया।

आरोप यह है कि यह सारी कार्यवाही दूरस्थ किसी काल सेंटर से की गई है जिसका संबंधित वोटर को पता ही नहीं अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम को हटवाने के लिए इतनी कार्यवाही तो कर ही सकता है।

इसके पश्चात आता है BLO द्वारा सत्यापन तो जिस प्रकार आवेदन फर्जी तरीके से किया जा सकता है, उसी प्रकार, सत्यापन से संबंधित कार्यवाही बिना वास्तविक मतदाता की जानकारी के क्यों नहीं की जा सकती??? जिस कल सेंटर से आवेदन की कार्यवाही हुई, उस से या दूसरे कल सेंटर से BLO के फर्जी हस्ताक्षरों से सत्यापन रिपोर्ट्स अपलोड कर दीजिए। सारी प्रक्रिया से सही वोटर व सही BLO को कुछ पता ही नहीं चलेगा।

आयोग से पूछा जा रहा है कि इस फर्जी प्रक्रिया में जिस जिस सोर्स से मेल आयोग की वेब साइट पर अपलोड हुए और जहां जहां आयोग से मेल गए उन के ओरिजिन व डेस्टिनेशन के एड्रेस व जहां जहां आयोग से ध्ऊइ गए उनकी पूरी ट्रेल जांच अधिकारी को दी जाए ताकि यह साफ हो की यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसके सोर्स कहां है। नं. ---- आयोग की ओर से पैरवी कर्ताओं का कहना है कि सारी समारी कर्नाटक सरकार की CID को दे दी। इसके विपरीत जांच करने वालों व आरोप लगाने वालों का कहना है जांच में आवश्यक पूरी जानकारी तथा फर्जी आवेदन करने वालों व आगे की कार्यवाहियों के स्त्रोतो का पता चले ऐसी जानकारी नहीं दी गई है?

चलिए,यह तो आरोप प्रत्यारोप हुए किंतु क्या आयोग को इसकी त्वरित निष्पक्ष जांच नहीं करनी चाहिए कि उस की वेबसाइट में अवैध तरीके से घुश के इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है क्या और यदि की गई है तो क्या उचित समाधान नहीं करना चाहिए और जनता को नहीं बताना चाहिए??

क्या जन हित में, इस सारी फर्जी कार्यवाही का पता चलते ही,स्वयं केंदीय चुनाव आयोग द्वारा केंद्र सरकार से किसी सक्षम केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने का अनुरोध करना ज्यादा उचित नहीं होता? चुनाव आयोग को जनता को बताना चाहिए कि चुनाव आयोग में सिर्फ एक दर्ज करवाने के ओर क्या क्या प्रयास ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए किए।

अब एक दो प्रश्न पाठकों के लिए ::-- मतदाता सूचियां बनाता है चुनाव आयोग, आरोप लगाए जा रहे है आयोग पर तो फिर कुछ असंबद्ध लोग या राजनीतिक पार्टियां मिनटों में ही आयोग का बचाव करने क्यों आ जाते है,मानों की उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम हो। क्या आयोग कोई असहाय नाबालिग बालक जो बाहरी चौधरियों से सहायता का मोहताज है?

बिहार की मतदाता सूचियों के SIR के संबंध में आयोग में सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से अपना बचाव किया तो सामान्य व्यक्ति प्रथम दृष्टया यह नहीं सोचेगा कि कहीं कुछ झोल है क्या??

अगर देश की बडी राजनीतिक पार्टियां कोई बात कहती है तो तसल्ली से उनकी बात पर गौर करके उन्हें अपना पक्ष रखने के बजाए आयोग अपने बचाव व आरोप लगाने वालों पर आक्रामक मुद्रा में क्यों आ जाता है?

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 24 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, चित्रा नक्षत्र सायं 4:17 तक, ऐन्द्रयन योग रात्रि 9:02 तक, तैतिल करण सायं 5:59 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-तुला, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज राजयोग सायं 4:17 तक है। रवि योग सायं 4:17 से आरम्भ होगा। आज से रवि-उलसानि मु. मास 4 आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:14 तक, शुभ 10:49 से 12:19 तक, चर 3:19 से 4:58 तक, लाभ 4:58 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:19

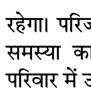

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

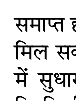

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

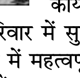

मिथुन
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

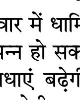

कर्क
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

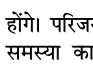

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

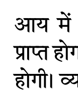

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला
यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होने लगेंगे।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

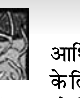

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

मकर
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में दुर्घटना का भय है।